न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारी:—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:—280 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीराम पुत्र श्री जगराम जाति विश्नोई निवासी लाखेटा तहसील बापिणी, जिला जोधपुर।		भूमिधारी श्रीमान् तहसीलदार बापिणी

प्रार्थी की ओर से :— अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़ उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांक:— 9-9-19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:— प्रार्थी व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 637 रकबा 246 बीघा 02 बिस्वा मौजा ग्राम रायमलवाडा तहसील बापिणी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त खातेदारी भूमि के राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरा नाम श्रवणकुमार दर्ज कर दिया गया जो गलत हैं। मेरा वास्तविक नाम श्रीराम पुत्र श्री जगराम हैं तथा मेरे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता शैक्षणिक दस्तावेज इत्यादि में मेरा नाम श्रीराम दर्ज हैं तथा ग्राम लाखेटा के खसरा नम्बर 865, 951, 957, 958, 959, 861 के राजस्व रेकर्ड में भी प्रार्थी का सही नाम श्रीराम दर्ज है। राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश मेरा नाम श्रवणकुमार गलत दर्ज कर दिया गया हैं, जिसको मैं अब उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर शुद्धि करवाना चाहता हूॅ। जो इन दस्तावेजों से बखूबी श्रीराम प्रमाणित होता हैं। राजस्व रेकर्ड में नाम अशुद्ध होने के कारण राजस्व रेकर्ड व मेरे अन्य दस्तावेजों में एकरूपता नहीं होने से मुझे [illegible] का सामना करना पडा है। इसलिए राजस्व रेकर्ड में [illegible] इसलिए यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत [illegible] जा रहा है। अत: [illegible] से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible]कार किया जाकर प्रा[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कर्मचारी, बापिणी

संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 637 रकबा 246 बीघा 02 बिस्वा मौजा ग्राम रायमलवाड़ा तहसील बापिणी, जिला जोधपुर में प्रार्थी का नाम श्रवणकुमार पुत्र जगराम दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम श्रीराम पुत्र जगराम दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्ती किये जाने का आदेश सादिर फरमावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम श्रवणकुमार के स्थान पर श्रीराम दर्ज करने हेतु अनुशंषा की। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 637 रकबा 246 बीघा 02 बिस्वा ग्राम रायमलवाडा, तहसील बापिणी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम श्रवणकुमार पि. जगराम के स्थान पर श्रीराम पि. जगराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 9.9.19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:34:58 IST
Reason: SelfAttested